LL.B.6sem.

C.P.C.
(Sec.113-115)

Scanned with CamScanner

निर्देश –

सुसंगत प्रावधान – संहिता की **धारा 113** तथा **आदेश 46** इस सम्बन्ध में प्रावधान करते हैं |

उद्देश्य – विधिक गतिरोध समाप्त करना ताकि निर्णय यथाशीघ्र हो जाये |

निर्देश से तात्पर्य – निर्देश का तात्पर्य वस्तुतः उस स्थिति से है जिसमें प्रथम बार का न्यायालय, अपीलीय न्यायालय, निष्पादक न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालय सम्बंधित **उच्च न्यायालय** से किसी विधिक प्रश्न पर कोई सलाह मांगते हैं |

निर्देश के लिए आवेदन कौन कर सकता है – अधीनस्थ न्यायालय निम्नलिखित में से किसी के भी आवेदन पर निर्देश कर सकेगा –

1. स्वप्रेरणा से, या

2. पक्षकारों के आवेदन से

निर्देश के लिए आवेदन कब किया जा सकता है – जब किसी मामले में किसी अधीनस्थ न्यायालय को किसी विधि के प्रश्न के सम्बन्ध में संदेह हो तो अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मामलों को **उच्च न्यायालय** में निर्देशित कर सकेगा |

वे परिस्थितियाँ जिसमें निर्देश प्राप्त किया जा सकता है – संहिता की **धारा 113 आदेश 46** का संयुक्त अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निम्नलिखित दशाओं में अधीनस्थ न्यायालय सम्बंधित उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते है

Scanned with CamScanner

1 . **<u>वैधता का प्रश्न (धारा 113)</u>** – यदि किसी वाद में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के वैधता के बारे में कोई प्रश्न अंतर्ग्रस्त होता है | जहां तक इस स्थिति का प्रश्न है इसमें निर्देश किया जाना आवश्यक होगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों –

a. कोई वाद, अपील या निष्पादन सम्बन्धी कार्यवाही न्यायालय में लंबित हो |

b. ऐसे मामलों में किसी अधिनियम इत्यादि की विधिमान्यता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो |

c. ऐसे मामलों का निपटारा तब तक नही किया जा सकता जब तक कि उपर्युक्त संदेह का निवारण नही हो जाता है |

d. इस पर **उच्चतम न्यायालय** या **उच्च न्यायालय** (जो उस अधीनस्थ न्यायालय से सम्बंधित है) का कोई निर्णय उपलब्ध नही है |

यदि उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय –

a. मामले का कथन करेगा

b. उस नियम पर अपने विचार व्यक्त करेगा

c. निर्देश के कारण का उल्लेख करेगा

d. तत्पश्चात मामले को उच्च न्यायालय के पास निर्देश के लिए भेज देगा |

2. लघुवाद न्यायालय को क्षेत्राधिकार के बारे में संदेह **(आदेश 46 नियम 6)**

Scanned with CamScanner

3. <u>अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहना (आदेश 46 नियम 7)</u> – जिला न्यायालय को यह शक्ति है कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन करे |

<u>निर्देश की प्रक्रिया (आदेश 46)</u> – न्यायालय स्वप्रेरणा से या किसी पक्ष के आवेदन पर सन्दर्भ कर सकता है | सन्दर्भ का अधिकार न्यायालय में निहित है न कि वादकारियों में |

निर्देश करने वाले न्यायालय को मामले का अभिकथन तैयार करना चाहिए, उसे विधि का प्रश्न सूत्रबद्ध करना चाहिए, ऐसे प्रश्न पर अपनी राय भी इंगित करनी चाहिए |

आदेश 46 नियम 2 के अनुसार निर्देश करने वाला न्यायालय निर्देश के लंबन के दौरान कार्यवाही स्थगित कर सकता है ऐसा न्यायालय आदेश या आज्ञप्ति भी पारित कर सकता है, ऐसे आदेश या आज्ञप्ति **उच्च न्यायालय** के विनिश्चय पर समाश्रित होगी | ऐसा आदेश या आज्ञप्ति **उच्च न्यायालय** का निर्णय प्राप्त होने से पहले निष्पादन योग्य न होगा |

आदेश 46 नियम 3 के अनुसार **उच्च न्यायालय** पक्षकारों को सुन सकता है | वह संदर्भित विधिक बिंदु का विनिश्चय करेगा | निर्णय की प्रति सम्बंधित न्यायालय को अभिप्रमाणित किया जायेगा | अधीनस्थ न्यायालय तदनुसार मामले का निर्णय विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा |

आदेश 46 नियम 5 में विधि के अनुसार सन्दर्भ (निर्देश) न किये जाने पर उच्च न्यायालय मामले को संशोधन हेतु वापस कर सकता है, **उच्च न्यायालय** सन्दर्भ को निरस्त भी कर सकता है | जहां उचित हो वहां उच्च न्यायालय सन्दर्भ करने वाले न्यायालय द्वारा पारित आज्ञप्ति या आदेश अपास्त कर सकता है. उच्च

Scanned with CamScanner

द्वारा पारित आज्ञप्ति या आदेश अपास्त कर सकता है, उच्च न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है |

सन्दर्भ का व्यय (आदेश 46 नियम 4) – उच्च न्यायालय को किये गये सन्दर्भ में हुआ व्यय मामले में हुआ व्यय समझा जाएगा |

शेरलेकर बनाम अग्रवाल, 1968 बॉम्बे उच्च न्यायालय के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि निर्देश नितांत आवश्यक नही है तो उच्च न्यायालय सम्बंधित न्यायालय को व्यक्तिगत रूप से सन्दर्भ (निर्देश) व्यय का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है |

धारा 113 सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 – **उच्च न्यायालय** का यह समाधान हो जाने पर किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबित प्रकरण में संविधान के निर्वाचन का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित है तथा ऐसे प्रश्न का अवधारण प्रकरण के लिए आवश्यक है तो उच्च न्यायालय ऐसे प्रश्न को प्रत्याहरित कर सकेगा तदुपरांत उच्च न्यायालय या तो स्वयं मामले को निस्तारित कर सकेगा या निर्वाचन के प्रश्न को अवधारित करके तदनुसार निस्तारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भेज देगा |

जहां लंबित प्रकरण में संविधान के निर्वाचन का कोई प्रश्न या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम के वैधिकता का प्रश्न अंतर्विष्ट है वहां **उच्च न्यायालय धारा 113** के अंतर्गत सन्दर्भ हेतु बाध्य है |

पुनर्विलोकन (धारा 114 तथा आदेश 47) –

उन आधारों का पूर्ण रूपेण विवेचन कीजिये जिन पर

Scanned with CamScanner

पुनर्विलोकन का आवेदन किया जा सकता है ? किस न्यायालय में पुनर्विलोकन का आवेदन दिया जाता है ? विवेचना कीजिये |

<u>सामान्य नियम</u> – आदेश 20 नियम 3 के तहत यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि यदि एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिया गया है तो तत्पश्चात उसमे संहिता की **धारा 152** के सिवाय कोई संशोधन नही किया जा सकेगा |

पुनर्विलोकन **आदेश 20 नियम 3** का **अपवाद** है |

<u>उपरोक्त सामान्य नियम का विचलन</u> – संहिता की धारा 114 और **आदेश 47, आदेश 20 नियम 3** का एक अपवाद है जिसके तहत हस्ताक्षरित निर्णय को भी कुछ परिस्थितियों में संशोधित किया जा सकता है |

<u>पुनर्विलोकन का अर्थ</u> – किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किसी मामले में कोई आदेश, डिक्री या निर्णय पारित किया गया है और ऐसे आदेश डिक्री या निर्णय में कोई क़ानून का प्रश्न, तथ्य अथवा प्रक्रिया सम्बन्धी कोई गलती या त्रुटि रह गयी है उस पर पुनः विचार करके उस त्रुटि या कानूनी भूल आदि को दूर करना है | किन्तु यह सुधार अथवा पुनर्विचार केवल वही न्यायालय कर सकेगा जिसने कोई आदेश, डिक्री अथवा निर्णय पारित किया है

<u>उद्देश्य</u> – धारा 114 का उद्देश्य कार्यवाहियों की बारंबारता को रोकना है | निचले स्तर पर ही निर्णय को संशोधित करते हुए की गयी कार्यवाही को वैधता प्रदान करना है |

<u>पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कौन कर सकेगा</u> – धारा 114 के अनुसार पुनर्विलोकन का आवेदन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा किया जा सकता है, जो न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या

Scanned with CamScanner

द्वारा किया जा सकता है, जो न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या आदेश से अपने को व्यथित मानता है |

पुनर्विलोकन का आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा – पुनर्विलोकन का आवेदन उस न्यायाधीश को दिया जाएगा जिसने डिक्री पारित किया था या आदेश दिया था |

वे मामले जिनका पुनर्विलोकन किया जा सकता है – धारा 114 के अनुसार पुनर्विलोकन **3 प्रकार** के मामलों में किया जा सकता है –

1. ऐसे सभी मामले जो अपीलीय हों, किन्तु अपील न की गयी हो |

2. प्रत्येक ऐसा मामला जिसकी अपील न की जा सकती हो |

3. लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया कोई निर्णय, जिससे वह अपने को व्यथित समझता है |

पुनर्विलोकन के आधार – आदेश 47 नियम 1 के अनुसार निम्नलिखित आधारों पर ही निर्णय का पुनर्विलोकन कराया जा सकता है –

1. किसी नये तथ्य या साक्ष्य के प्रकट होने पर

2. ऐसी गलती या त्रुटि (विधि, तथ्य या प्रक्रिया सम्बन्धी) जो अभिलेख के आमुख पर ही स्पष्ट होती है

3. अन्य पर्याप्त आधार

1. किसी नये तथ्य या साक्ष्य के प्रकट होने पर – किसी नये तथ्य या साक्ष्य का पता चलने पर पुनर्विलोकन तभी किया जा

Scanned with CamScanner

तथ्य या साक्ष्य का पता चलने पर पुनर्विलोकन तभी किया जा सकता है जबकि –

a. निर्णय पारित होने से पूर्व ऐसे किसी तथ्य या साक्ष्य का पता साधारण परिश्रम के बाद भी नहीं लगाया जा सकता है |

b. तथ्य का साक्ष्य वाद में सुसंगत होना चाहिए |

c. साक्ष्य या तथ्य विवाद्यक तथ्य तक ही सीमित होना चाहिए |

यह तथ्य कि निर्णय सुनाये जाने के पूर्व, जिस तथ्य का पता निर्णय के पश्चात चला है वह साधारण परिश्रम के बावजूद भी नही लग सकता था, इसका भार उसी व्यक्ति पर होगा जो पुनर्विलोकन का आवेदन करता है |

साक्ष्य अधिनियम की **धारा 167** के तहत ऐसा तथ्य या साक्ष्य, पुनर्विलोकन का साक्ष्य तभी हो सकता है जबकि वह इस प्रकृति का हो कि निर्णय सुनाते समय यदि मौजूद रहता तो निर्णय का परिणाम कुछ और होता |

मेरी जोन्स फाइन बनाम जेम्स सिडनी के वाद में '**दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन**' की डिक्री पारित की गयी और बाद में पता चला कि पक्षकार चचेरे भाई-बहन थें (सपिण्ड नातेदारी) अतः डिक्री अकृत और शून्य है, वहां पुनर्विलोकन का आवेदन स्वीकार किया गया |

2. <u>ऐसी गलती या त्रुटि जो अभिलेख के आमुख पर ही स्पष्ट होती है</u> – इस आधार पर पुनर्विलोकन तभी संभव होगा जब त्रुटि या गलती प्रत्यक्ष हो |

तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम गवर्नमेंट ऑफ़ आंध्र प्रदेश के मामले में **उच्चतम न्यायालय** ने स्पष्ट किया कि

Scanned with CamScanner

भूल या त्रुटि ऐसे अभिलेख के देखने मात्र से ही प्रकट है, नही माना जा सकता, जहां यह निर्धारित करने के लिए कि निर्णय सही है या नही, अभिलेख से परे छान-बिन करना पड़े |

"भूल या गलती जो देखने से ही प्रकट होती है" पद की व्याख्या **उच्चतम न्यायालय** में अपने महत्वपूर्ण निर्णय **मीरा भांजा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी** में कहा है कि भूल या गलती जो देखने से ही प्रकट होती है, से तात्पर्य ऐसी गलती से है जिस पर, अभिलेख देखने से ही ध्यान आकर्षित होता है और जहां किसी बिंदु पर दो विचार हो सकते हैं |

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में उपरोक्त आधार के अतिरिक्त किसी अन्य आधार को स्पष्ट नही किया गया है किन्तु विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर इसके कुछ दृष्टांत बताये जा सकते हैं –

a. वाद तथ्यों पर परिसीमा अधिनियम लागू करने में न्यायालय द्वारा असफलता **(देवी सहाय बनाम विसेसर लाल)**

b. किसी निर्णय का सुनाना, बिना इस तथ्य पर विचार किये कि विधि को भूतलक्षीय प्रभाव से संशोधित कर दिया गया है **(सुबनजीत बनाम मोहम्मद)**

c. किसी अधिनियम की किसी धारा या उसके एक भाग पर विचार करने में न्यायालय की असफलता **(नारायण बनाम रमन)**

d. न्यायालय द्वारा किसी सारवान विवाद्यक पर विचारण की भूल के आधार पर **(एम. एम वी. कथोलिक एम. पी. अथमासिस)**

Scanned with CamScanner

e. जहां पक्षकारों को सूचना के अभाव में निर्णय किया गया है **(मौन्गसेन बनाम मौगटुन)**

f. जहां अधिकारिता का अभाव अभिलेख से प्रकट है **(लोहिरी बनाम माखन लाल)**

g. उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत मत प्रकट करना **(मेडिकल एंड डेन्टल कालेज बंगलौर बनाम नागराज)**

3. <u>कोई अन्य पर्याप्त कारण</u> – आदेश 47 में पुनर्विलोकन के तीसरे आधार के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है | इस विषय पर **सर्वोच्च न्यायालय** में **प्रीवी कौंसिल** और **फेडरल कोर्ट** के निर्णय का अनुसरण करते हुए **एम. एम. वी. कथोलिक बनाम एम. पी. अथमासिस** के मामले में अन्य पर्याप्त कारण से तात्पर्य निम्नलिखित को बताया है – "अन्य पर्याप्त कारण में वे सभी आधार सम्मिलित होंगे, जो उपरोक्त आधार से मिलते जुलते हो या उनके सदृश्य हो |"

इसके अंतर्गत ऐसे सभी मामले आ सकते है जिनमे न्यूनतम नैसर्गिक न्याय के नियमों का अनुपालन न किया गया हो |

निम्नलिखित को पुनर्विलोकन का पर्याप्त कारण माना गया है –

a. जहां निर्णय में कथन सत्य नही है **(बैंक ऑफ़ बिहार बनाम महावीर लाल)**

b. जहां पक्षकार को मामले की पर्याप्त सूचना नही थी या उसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर नही प्राप्त हुआ | **(राजाकिशुन बनाम नीलमनी)**

Scanned with CamScanner

c. विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना एक पक्षीय आदेश दे देना।

पुनर्विलोकन प्रक्रिया (आदेश 47 नियम 3, 4 और 5) – पुनर्विलोकन सम्बन्धी प्रक्रिया को **दो स्तरों** में बांटा जा सकता है –

1. **प्रथम स्तर** – सर्वप्रथम इस बात का निर्धारण किया जाएगा कि, पुनर्विलोकन आवेदन पोषणीय है अथवा नही तथा इसका निर्धारण इस पर निर्भर करता है कि आवेदन को स्वीकार करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नही।

2. **द्वितीय स्तर** – जब आवेदन स्वीकारने के लिए पर्याप्त कारण हैं तब विरोधी पक्षकार को सूचना दिया जाएगा, फिर उसके बाद उस पर निर्णय किया जाएगा।

पुनर्विलोकन के लिए आवेदन निर्णय के कितने दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए – किसी भी निर्णय के विरुद्ध (उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अतिरिक्त) पुनर्विलोकन का आवेदन डिक्री या आदेश की तिथि से **30 दिनों** के भीतर दिया जाना चाहिए।

पुनर्विलोकन का द्वितीय अपील – पुनर्विलोकन में जो आदेश या डिक्री पारित की जाती है उसका पुनः पुनर्विलोकन नही किया जा सकता है।

परन्तु जिला न्यायाधीश अपील में पारित किये गये अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, उसे यह अधिकार प्राप्त है।

पुनर्विलोकन का अन्तर्निहित अधिकार – अपने निर्णय पर पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायालय का अन्तर्निहित अधिकार

Scanned with CamScanner

नही है अपितु अपील के अधिकार के समान है जो किसी संविधि द्वारा प्रदान किया जाता है | ऐसा अधिकार चाहे स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से प्रदान किया जाये |

पुनरीक्षण (धारा 115) –

पुनरीक्षण से आप क्या समझते हैं ? इसके आधार पर प्रकास डालिए ?

सुसंगत प्रावधान – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की **धारा 115** इस सन्दर्भ में प्रावधान करती है |

उद्देश्य – मेजर खन्ना बनाम ब्रिगेडियर ढिल्लन के वाद में उच्चतम न्यायालय ने **दो उद्देश्य** बताये हैं –

1. कार्यवाहियों के निष्पादन के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखना, तथा
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटियों को दूर करना |

प्रकृति – धारा 115 में प्रावधानित पुनरीक्षण **'उत्प्रेरण की रिट'** की भांति है |

हरिविष्णु कामथ बनाम अहमद इसहाक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने **धारा 115** तथा **'उत्प्रेरण की रिट'** को एक प्रकार का मानते हुए यह स्पष्ट किया है कि जहां पुनरीक्षण अधिकारिता सम्बन्धी अनियमितता को दूर करता है वही **उत्प्रेरण रिट** द्वारा न केवल क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अनियमितता को दूर किया जाता है अपितु अन्य अनियमितताओं को भी दूर किया जा सकता है |

पुनरीक्षण वैवेकीय है |

Scanned with CamScanner

पुनरीक्षण किन मामलो में किया जा सकता है – धारा 115 के अनुसार पुनरीक्षण उन्ही मामलो में किया जा सकता है, जो अपीलीय नही हैं |

क्या पुनरीक्षण के लिए दिए गये आवेदन को अपील में स्वीकार किया जा सकता है – दण्ड प्रक्रिया संहिता की भांति सिविल प्रक्रिया संहिता में भी कोई विशेष उपबंध नही है | यह प्रश्न पूर्णतः न्यायालय के अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार पर है जिसका प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता की **धारा 151** में किया गया है |

रिलायबल वाटर सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में **उच्चतम न्यायालय** ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मामले में न्यायालय अपने अन्तर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पुनरीक्षण के लिए दिए गये आवेदन को अपील के आवेदन के रूप में स्वीकार कर सकता है |

बहोरी बनाम विद्याराम के मामले में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय** ने इस निर्णय को लागू करते हुए **धारा 151** के प्रयोग को उचित ठहराया | **पुनरीक्षण** का आवेदन भारत के संविधान के **अनुच्छेद 32** के अंतर्गत दी गयी याचिका से अलग एवं भिन्न है | **धारा 115** के अंतर्गत दिए गये आवेदन को **अनुच्छेद 227** के अंतर्गत याचिका में न्यायालय की इच्छा पर न्यायालय में परिवर्तित नही किया जा सकता है |

पुनरीक्षण का आवेदन किसके द्वारा दिया जाएगा – पुनरीक्षण का आवेदन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा दिया जा सकता है | न्यायालय स्वयं भी किसी मामले में कार्यवाही कर सकता है |

Scanned with CamScanner

पुनरीक्षण हेतु परिसीमा – **परिसीमा अधिनियम, 1897** के अनुसार किसी मामले में पारित आदेश या डिक्री की तिथि से **90 दिन** के भीतर पुनरीक्षण का आवेदन किया जा सकेगा |

पुनरीक्षण किस न्यायालय में किया जाएगा – **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908** की **धारा 115** के तहत पुनरीक्षण –

1. उच्च न्यायालय में, तथा

2. जिला न्यायालय में किया जा सकेगा

परन्तु **सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनयम, 2003** के माध्यम से **धारा 115** में संशोधन किया गया है | नए संशोधन के अनुसार अब **उत्तर प्रदेश** में **जिला न्यायाधीश** उन आदेशों का पुनरीक्षण, जो उनके अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा **5 लाख मालकियत** के मूल वादों में पारित किये गये हैं (या जो ऐसे वाद से उत्पन्न होते हैं) कर सकेंगे | **पांच लाख** रूपये से ऊपर के मालकियत के वादों में आदेशों का पुनरीक्षण **उच्च न्यायालय** द्वारा होगा |

पुनरीक्षण के आवश्यक तत्व – **धारा 115** के अनुसार पुनरीक्षण हेतु आवेदन तभी किया जा सकता है जबकि निम्न आवश्यक तत्व उपस्थित हों –

1. मामला निर्णीत हो गया हो या मामले का विनिश्चय कर दिया गया हो,

2. ऐसा मामला उच्च न्यायालय से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया हो,

3. ऐसा मामला अपीलीय न हो,

Scanned with CamScanner

4. मामला निर्णीत करते समय क्षेत्राधिकार सम्बन्धी निम्नलिखित त्रुटियाँ की गयी हो –

a. अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग न किया हो,

b. अधीनस्थ न्यायालय ने विधि द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर दिया हो, या

c. न्यायालय ने विधि द्वारा निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग तो किया हो, किन्तु इसे करने में सारवान अनियमितता की गयी हो |

धारा 115 के स्पष्टीकरण के अनुसार – 'मामले का विनिश्चय' पद के अंतर्गत किसी वाद का या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई आदेश या विवाद्यक निश्चित करने का कोई भी आदेश सम्मिलित है |

धारा 115 के अंतर्गत **'न्याय निर्णीत वाद'** को परिभाषित नही किया गया है | **सन 1976** के पूर्व यह स्पष्ट नही था कि क्या ऐसे भी आदेशों **(जैसे अंतरवर्ती आदेश 39)** का पुनरीक्षण हो सकता है जो कार्यवाही के मध्य जारी किया गया हो ?

उच्चतम न्यायालय ने **मेजर खन्ना बनाम ब्रिगेडियर ढिल्लन** के मामले में इस प्रश्न का सकारात्मक जवाब दिया है और स्पष्ट किया है कि अंतरवर्ती आदेश का पुनरीक्षण कुछ आपवादिक परिस्थितियों में ही किया जा सकता है |

अधीनस्थ न्यायालय - यहाँ अधीनस्थ न्यायालय से तात्पर्य उस न्यायालय से है जो उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता के तहत आता है |

मामला अपीलीय नही होना चाहिए – यहाँ अपीलीय से

Scanned with CamScanner

<u>मामला अपीलीय नही होना चाहिए</u> – यहाँ अपीलीय से तात्पर्य प्रथम एवं द्वितीय अपील दोनो से है अर्थात पुनरीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि मामला किसी भी स्तर पर अपीलीय न हो |

<u>क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि</u> – धारा 115 के तहत क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि निम्नलिखित तरीकों से हो सकती है –

1. निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही किया जाना
2. निहित क्षेत्राधिकार से अधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना
3. क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सारवान अनियमिततायें बरतना

<u>सारवान अनियमितता का तात्पर्य</u> – सिविल प्रक्रिया संहिता में यह स्पष्ट नही किया गया है कि किस परिस्थिति में कहा जाएगा कि न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में सारवान अनियमिततायें की है | इस प्रश्न पर **प्रीवी कौंसिल** ने **राजा आमिर हसन खां बनाम शिवबक्श सिंह** के मामले में यह स्पष्ट किया है कि सारवान अनियमितता तब कही जाएगी जब –

a. दिए गये साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन नही किया गया हो |

b. उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये तथ्य विशेष के सन्दर्भ में किसी निर्णय की अवहेलना करते हुए निर्णय दिया गया हो |

c. विधि के प्रावधानों का सही निर्वचन नही हुआ हो |

d. उच्चतम न्यायालय या **उच्च न्यायालय** द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को उस मामले में लागू कर दिया गया हो जो निर्णीत मामले के तथ्य से भिन्न हो |

Scanned with CamScanner

उच्चतम न्यायालय ने **प्रीवी कौंसिल** के निर्णय को पुष्ट करते हुए **केशार देव बनाम राधा किशन** के मामले मे यह स्पष्ट किया है कि **प्रीवी कौंसिल** द्वारा जो परिस्थितियां बतायी गयी है वे मात्र दृष्टांत हैं, इसकी सूची पूर्ण नही है |

पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की सीमाएं – पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार वैवेकिक है अतः **धारा 115 (1) (a),(b)** तथा **(c)** के अपेक्षाओं के संतुष्ट हो जाने पर भी **उच्च न्यायालय** हस्तक्षेप करने से इंकार कर सकते हैं |

जब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विनिश्चित प्रकरण क्षेत्राधिकार सम्बन्धी दोष से ग्रस्त न हो तब तक उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नही कर सकता है |

यदि पीड़ित पक्ष कोई समान प्रभाविकता का कोई वैकल्पिक उपचार रखता है तो उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने से इंकार कर सकता है |

पुनरीक्षण एक वैवेकीय उपचार है अतः न्यायालय पुनरीक्षणकर्ता के आचरण एवं व्यवहार के असंतोषजनक या अनुचित पाए जाने पर पुनरीक्षण में हस्तक्षेप करने से इंकार कर सकता है |

मध्यवर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण नही (धारा 115(1) का परन्तुक) - धारा 114 (1) का **परन्तुक संशोधन अधिनियम 1976** द्वारा अन्तःस्थापित किया गया है | इसके अनुसार मध्यवर्ती आदेश पुनरीक्षण योग्य नही | अपवाद स्वरूप निम्नलिखित में से किसी परिस्थिति के संतुष्ट होने पर मध्यवर्ती आदेश पुनरीक्षण योग्य होगा –

1. यदि आवेदक के पक्ष में आदेश दिया गया होता तो उसके द्वारा वाद या कार्यवाही अंतिमतः निस्तारित हो गयी होती, या

Scanned with CamScanner

2. यदि आदेश को बना रहने दिया गया तो वह न्याय को विफल कर देगा या अपूरणीय क्षति कारित करेगा |

ऐसा आदेश या आज्ञप्ति जिसके विरुद्ध अपील उपलब्ध हो **(उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष)** तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नही कर सकता है |

अपील, निर्देश, पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण में अंतर –

1. अपील और पुनरीक्षण में अंतर –

a. अपील एक **वरिष्ठ न्यायालय** में किया जाएगा और यह आवश्यक नही है कि ऐसा वरिष्ठ न्यायालय उच्च न्यायालय हो, किन्तु **पुनरीक्षण** का आवेदन संहिता के अधीन केवल **उच्च न्यायालय** को दिया जाएगा |

b. अपील केवल डिक्री या ऐसे आदेश के विरुद्ध जो अपील के योग्य है, किया जा सकता है, किन्तु पुनरीक्षण का आवेदन उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के प्रत्येक विनिश्चय का निर्णय के विरुद्ध (जिसके विरुद्ध पहली या द्वितीय अपील न होती हो) दिया जा सकता है |

c. अपील का अधिकार संविधि द्वारा प्रदत्त एक **सारभूत** अधिकार है, परन्तु उच्च न्यायालय का **पुनरीक्षण** का अधिकार एक **वैवेकिक** अधिकार है |

d. एक **अपील** तथ्य सम्बन्धी एवं विधि सम्बन्धी दोनों प्रश्नों पर की जा सकती है, किन्तु **पुनरीक्षण** का आधार अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि या गलती हो सकती है |

2. अपील और निर्देश में अंतर –

Scanned with CamScanner

d. एक **अपील** तथ्य सम्बन्धी एवं विधि सम्बन्धी दोनों प्रश्नों पर की जा सकती है, किन्तु **पुनरीक्षण** का आधार अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि या गलती हो सकती है।

2. <u>अपील और निर्देश में अंतर</u> –

a. अपील का अधिकार वाद के **पक्षकारों** का अधिकार है, किन्तु **निर्देश** का अधिकार **एक न्यायालय** का होता है।

b. निर्देश हमेशा **उच्च न्यायालय** को किया जाता है, किन्तु **अपील** एक **वरिष्ठ न्यायालय** में किया जा सकता है और यह कोई आवश्यक नहीं है कि ऐसा वरिष्ठ न्यायालय उच्च न्यायालय ही हो।

c. अपील के आधार विस्तृत हैं, किन्तु निर्देश के आधार उतने विस्तृत नहीं हैं।

d. निर्देश तभी किया जा सकता है, जब कोई वाद, अपील या निष्पादन की कार्यवाही लंबित है, किन्तु अपील तभी हो सकती है जब न्यायालय ने या तो डिक्री पारित कर दिया है या अपील योग्य आदेश पारित कर दिया गया है।

3. <u>अपील और पुनर्विलोकन ने अंतर</u> –

a. अपील हमेशा एक **वरिष्ठ न्यायालय** में किया जाता है, किन्तु **पुनर्विलोकन** का आवेदन **उसी न्यायालय** को किया जाता है।

b. पुनर्विलोकन में वही न्यायाधीश उसी विषय-वस्तु पर पुनर्विचार करता है, परन्तु **अपील** की सुनवाई एक **भिन्न न्यायाधीश** द्वारा की जाती है।

Scanned with CamScanner

c. अपील के आधार पुनर्विचार या पुनर्विलोकन के आधार से कहीं विस्तृत हैं।

d. दूसरी अपील **'विधि के सारवान प्रश्न'** के आधार पर की जा सकती है किन्तु **दूसरे पुनर्विलोकन** के आवेदन का **कोई प्रावधान नही** है।

4. <u>निर्देश और पुनर्विलोकन में अंतर</u> –

a. निर्देश में, अधीनस्थ न्यायालय मामले का निर्देश उच्च न्यायालय को करता है, किन्तु पुनर्विलोकन में, पुनर्विलोकन का आवेदन दुखी पक्षकार करता है।

b. निर्देश हमेशा **उच्च न्यायालय** को किया जाता है और वही निर्देश के मामले में निर्णय देता है, किन्तु **पुनर्विलोकन** का आवेदन **उसी न्यायालय** में दिया जाता है।

c. निर्देश उस समय किया जाता है जब कोई वाद, अपील या निष्पादन की कार्यवाही लंबित रहती है, किन्तु पुनर्विलोकन का आवेदन तभी किया जा सकता है जब डिक्री या आदेश पारित कर दिया गया है।

d. पुनर्विलोकन और निर्देश दोनों के आधार भिन्न-भिन्न हैं।

5. <u>पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण में अंतर</u> –

a. पुनर्विलोकन वही न्यायालय करता है **जिसने निर्णय दिया** है, किन्तु **पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा** किया जाता है।

b. उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण उन्ही मामलों में किया जा

Scanned with CamScanner

d. पुनर्विलोकन और निर्देश दोनों के आधार भिन्न-भिन्न हैं |

5. <u>पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण में अंतर</u> –

a. पुनर्विलोकन वही न्यायालय करता है **जिसने निर्णय दिया** है, किन्तु **पुनरीक्षण उच्च न्यायालय द्वारा** किया जाता है |

b. उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण उन्ही मामलों में किया जा सकता है जिसमें उच्च न्यायालय को अपील नही होती किन्तु पुनर्विलोकन उन मामलों में भी हो सकता है, जिनमें अपील उच्च न्यायालय को हो सकती है |

c. पुनर्विलोकन कोई भी न्यायालय कर सकता है, किन्तु पुनरीक्षण की अधिकारिता या शक्ति केवल उच्च न्यायालय को है |

d. पुनरीक्षण उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से भी कर सकता है, किन्तु पुनर्विलोकन के लिए दुखी पक्षकार द्वारा आवेदन किया जाना आवश्यक है |

e. पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन के आधार भिन्न-भिन्न हैं |

f. पुनर्विलोकन के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, किन्तु पुनरीक्षण के बाद पारित आदेश के विरुद्ध अपील नही की जा सकती है |

Scanned with CamScanner